

उल्लंघन पत्र

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई मेल:- ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

स: राज/भील/371/क्वार्टर-फेल्सपार-177

अजमेर दिनांक 23/9/2013

प्रेषित श्री रतन लाल डिडवानिया
निवासी -डी-4, नागोरी गार्डन
भीलवाड़ा-311001

विषय: राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में स्थित आपकी khania kheda (MI4/2000) क्वार्टर फेल्सपार खान 4.88 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का उल्लंघन (खान कोड -22RAJ06209)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30/8/2013 को आपके प्रतिनिधि श्री श्रीराम सैनी की उपस्थिति में उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (संशोधित 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियम

उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- 12(3) The Modified mining plan last approved by state government on 24/11/2009 for three years mining proposal only. The period of last approved modified mining plan has already expired and scheme of mining for next five years period have not been submitted to state authorities ,120 days before the expiry of last approved modified mining plan. Mining operation in mines are being carried out without having approved mining scheme in violation of rule 12(3) and 13(1).
- 13(1) The mining operations in the leasehold area have not been carried out in accordance with the approved modified mining plan dated 24/11/2009 to the extent given below.
- a) As per approved mining plan, it was proposed to plants 28 saplings each year but the same has not been carried out.
- b) It was proposed to work at southern part of lease area between grid N-00 to N-150 during the plan period but mine workings have been extended to north beyond grid N-250.
- c) As per para 11 of approved modified mining plan a mining engineer have not been employed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) and 45 (7)(1) के अंतर्गत (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03.अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(बाबुलाल गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता,, भीलवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबुलाल गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक